राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

क्रमांकः–एफ–13/4/8/वी.एस./डीईएस/2020/ 305 — दिनांकः 24.04.2025

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
जिला कलेक्टर,
समस्त।

विषयः– जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित)–एक वर्ष से अधिक विलंबित पंजीकरण के लिए आदेश जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के संबंध में।

संदर्भः– भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय का पत्र f.No.11/4/2020-VS(CRS)/ 2162 दिनांक 07.04.2025 क्रम में।

महोदय,

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 13 (3) एवं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000(2025 में संशोधित) के नियम 9(3) के प्रावधान के अनुसार, **"किसी जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, जिसकी विलंबित इत्तिला इसके होने के एक वर्ष के पश्चात् रजिस्ट्रार को दी जाती है, केवल उस क्षेत्र जहां जन्म या मृत्यु हुई है, पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या उप–खंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये आदेश और एक सौ रुपये की विलंब फीस के संदाय पर ही किया जायेगा।"**

उक्त क्रम में भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा स्पष्ट किया गया है कि "कार्यपालक 'मजिस्ट्रेट" का तात्पर्य दंड प्रक्रिया संहिता,(CPC) 1973 की धारा 20 की उप–धारा (1) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जाने से है।

अतः अनुरोध है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 13 (3) एवं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000(2025 में संशोधित) के नियम 9(3) के अन्तर्गत अनुज्ञा जारी करने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट केवल अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही नामित किये जाने का श्रम करावे।

भवदीय,

(डा सुदेश कुमार)
अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)

क्रमांकः–एफ–13/4/8/वी.एस./डीईएस/2020/ 305 — दिनांकः 24.04.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त निदेशक (सीआरएस), भारत का महारजिस्ट्रार कार्यालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. उप निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, जयपुर।
3. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं संयुक्त/उप निदेशक, [illegible] विभाग समस्त।

Signature valid
Digitally signed by Sudesh Kumar
Designation: Joint Director
Date: 2025.04.24 12:47:25 IST
Reason: Approved